This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 27 जून, 2025 / 06 आषाढ़, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 26th June, 2025

No.Fin-2-C(12)-1/2025.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of **25**-year tenure for an aggregate amount of

₹ **1200 crore** (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The proceed of the State Government Securities will be utilize for the development programme of the State of Himachal Pradesh.

   (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the **yield** based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on **July 01, 2025**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on **July 01, 2025** :

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **July 02, 2025**.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on **July 02, 2025** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort) /New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of **25**-year tenure. The tenure of the Stock will commence on **July 02, 2025.**

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on **July 02, 2050.**

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on **January 02 and July 02**.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-
(DEVESH KUMAR) IAS,
Principal Secretary (Finance),
to the Government of Himachal Pradesh.

ENVIRONMENT, SCI. TECH. & CLIMATE CHANGE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th June, 2025

No. STE-F(4)-2/2021.—In pursuance of Extended Producers Responsibility (EPR) guidelines (reference guideline sr. no. 10.5) under Plastic Waste Management Rules, 2016 amended time to time by MoEF & CC, GoI, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following scheme for regulating and providing a mechanism for collection of Non-Biodegradable packaging waste as per the polluters pay principle to prevent littering or disposing of Non-Biodegradable Garbage in public drains, roads and places open to public view in the State of Himachal Pradesh and ensuring proper recycling of collected waste to promote circular economy within the State of Himachal Pradesh.

Provisions of the Himachal Pradesh Deposit Refund Scheme (DRS), 2025

PART-I—GENERAL

1. Short title, Extent and Commencement.—(1) The Scheme may be called the Himachal Pradesh Deposit Refund Scheme, 2025.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette appoint.

(3) It shall extend to the whole State of Himachal Pradesh.

2. Application of the Scheme.—The provisions of this Scheme shall apply to;

Liquor and non-liquor in glass bottles, plastic beverage containers, aluminium beverage containers, liquid packaging board (e.g. tetra pack), flexible plastic packaging and multilayered packaging;

Or any such product as may be notified by the Scheme Administrator from time to time.

3. Definitions.—(1) In this Scheme, unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(a) **'Act'** means the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995;

(b) **'Annual Scheme Participation Fee' or 'ASPF'** means the annual fees charged from the manufacturers for the purpose of registration and participation in the DRS as per the procedure specified by Scheme Administrator;

(c) **'Banks'** means the Financial Institutions that are listed under Schedule II of the Reserve Bank of India Act, 1934;

(d) **'Collection Point'** means an authorized location where a redeemer can return their DRS product to claim the refundable deposit secured on the DRS product;

(e) **'Distributor'** means a business entity including but not limited to super stockists and wholesalers that sell packaged goods to retailers for sale towards final consumption; The Distributor typically operates at a higher level of the supply chain than the retailer and may be responsible for importing, storing and distributing the package goods to retailers;

(f) **'Deposit'** means a fully refundable amount secured additionally over the price paid for the DRS product;

(g) **'Depositor'** means a person who pays a refundable deposit over the price paid for the DRS product;

(h) **'Deposit Refund Scheme'** or **'DRS'** means a process or scheme where a refundable deposit secured on a DRS product shall be refunded on the return of the product at the collection point to a Redeemer;

(i) **'DRS Product'** means a product made of Non-Biodegradable Material specified in the Schedule of the Act; and used for the purpose of packing the commodity suitable for sale in the State of Himachal Pradesh;

(j) **EPR "Extended Producer Responsibility"** means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life;

(k) **'Escrow Account'** means an escrow bank account opened and operated by the bank for receiving amounts related to Escrow Bank Account opened and operated by the bank independently on behalf of the Scheme Administrator as per the terms and conditions agreed between the Scheme Administrator, the Scheme Operator and such Bank with whom the Escrow Bank Account is opened. This account will be used for receiving deposits for:

(i) Refundable deposit secured under DRS

(ii) Annual Scheme Participation Fee (ASPF)

(iii) Reverse Collection Fee (RCF)

(iv) Penalties charged under this Scheme

(v) Any other amount related to DRS as may be specified by Scheme administrator;

(l) **'Handling Fee'** means a fee paid to the authorized collection point by the Scheme Operator to handle the collection mechanism under this Scheme;

(m) **'Manufacturer'** means a brand owner or importer or producer who introduce DRS product in the state of Himachal Pradesh;

(n) '**Non-recyclable Product'** means a DRS product which is not fit for "Recycling";

(o) **'Official Gazette'** means the Official Gazette of the Himachal Pradesh State Government;

(p) **'Property'** shall include, but not be limited to, all Products, Recyclable Products, Non-Recyclable Products, any assets utilized for DRS including money or valuable security, belonging to, or in the charge or possession of, Scheme Administrator;

(q) **'Recycling'** means any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes, but it does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations;

(r) **'Recycler'** are entities who are engaged in the process of recycling of DRS Product;

(s) **'Retailer'** means a business entity that sells products packaged in Non-Biodegradable Packaging for final consumption ;

(t) **'Redeemer'** means a person who claims the refundable deposit amount secured on a DRS Product upon its return;

(w) **'Reverse Collection Fee'** means an amount charged from manufacturers for collection, sorting and recycling of material introduced and creating awareness among stakeholders in the State of Himachal Pradesh, or such incidental activities as may be notified from time to time;

(x) **'Recyclable DRS Product'** means DRS Product which is fit for Recycling;

(y) **'State Government'** means the State Government of Himachal Pradesh.

(z) **'Scheme administrator'** means an entity, person or authority or agency appointed as Scheme Administrator by the Government as per the provisions of this notification;

(aa) **'Scheme Operator'** means a person, company or organization *i.e.* authorized by the Scheme Administrator to implement the deposit refund scheme in the State of Himachal Pradesh;

(bb) **'Unique Serialised Identifier'** or USI is a unique identification or any similar marking printed on DRS product and is secured with a refundable deposit which may be refunded upon the return of the DRS product within a validity period;

(cc) **'Un-redeemed Deposit'** means a deposit secured on a DRS product and has not been claimed within the validity period of the Unique Serialized Identifier against which such deposits were secured and appropriated.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 shall have the same meaning respectively assigned to them in that Act.

PART-II—GENERAL CONDITIONS

4. (1) Manufacturers, distributors and retailers selling or introducing products packaged in non-biodegradable packaging shall be mandated to secure a deposit on such DRS product at the time of sale, distribution or introduction of DRS product in the market;

(2) The deposit to be secured shall be collected at first level and shall be transferred at each distribution level until the final consumer;

(3) The Deposit secured on the DRS product shall be exempted from commercial taxes, duties, levies, etc. and shall not form part of the MRP charged to the customers;

(4) Such collected deposit shall be deposited in an escrow account created for the purpose of DRS;

(5) Retailers shall take all necessary actions to spread awareness on DRS through clearly legible and visible signs in their business premises;

(6) Manufacturers shall provide the information related to Deposit separately , on the labels (print or emboss) of the DRS product;

(7) The Deposit shall be fully refunded to the redeemer, at no cost, upon acceptance of the DRS product at the collection point;

(8) The obligation to accept any such returned packaging shall be limited to packaging material of the type that has been specified in the Schedule 1 of the Act;

(9) After this Scheme have come into effect, with respect to DRS products introduced in the market, there shall be collection target obligations from the year as may be notified by the Scheme Administrator from time to time ;

(10) In case of conflict with the objective of this Scheme with any other scheme or bye-laws in the State; this scheme shall prevail over such scheme.

PART-III—ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION

5. High Powered Committee.—(1) The State Government shall constitute a high-powered Committee to advise the State Government on such matters arising out of the administration of the Scheme as may be referred to it by the Government, including matters relating to the implementation and management of the DRS:—

High Powered Committee

#	Designation and Department	As Designated
1.	Chief Secretary to the GoHP	*Chairperson*
2.	Admn. Secy. (UD) to the GoHP	*Member*
3.	Admn. Secy. (RD) to the GoHP	*Member*
4.	Admn. Secy. (PWD) to the GoHP	*Member*
5.	Admn. Secy. (Forest) to the GoHP	*Member*
6.	Admn. Secy. (Tourism) to the GoHP	*Member*
7.	Admn. Secy. (Food Civil Supplies & Consumer Affairs) to the GoHP	*Member*
8.	Admn. Secy. (Fin. & Planning) to the GoHP	*Member*
9.	Admn. Secy. (Industries) to the GoHP	*Member*
10.	Admn. Secy. (Excise & Taxation) to the GoHP	*Member*
11.	Admn. Secy. (Health) to the GoHP	*Member*
12.	Admn. Secy. (EST&CC) to the GoHP	*Convener*

6. Powers and Duties of the High Powered Committee.—(1) The Chief Secretary of the State of Himachal Pradesh shall be the Chairperson of the high powered Committee;

(2) The high-powered committee shall formulate and recommend policies, guidelines and procedures for the implementation of the DRS within the jurisdiction of the State Government;

(3) The high-powered committee shall constitute the scheme administrator and appoint the vacant positions on the board of scheme administrator

(4) Monitoring and evaluation of DRS performance annually.

7. Scheme Administrator.—(1) The board of the society (not for profit entity) is termed as Scheme Administrator.

(2) The Scheme Administrator shall consists the following:

#	Designation and Department	As Designated
1.	Admn. Secretary (Env., Sci. Tech & Climate Change) to the GoHP	*Chairperson*
2.	Director (UD)	*Member*
3.	Director (RD)	*Member*
4.	E-n-C (PWD)	*Member*
5.	PCCF (Forest)	*Member*
6.	Director (Tourism)	*Member*
7.	Director (Food Civil Supplies & Consumer Affairs)	*Member*
8.	Director Advisor (Fin. & Planning)	*Member*
9.	Director (Industries)	*Member*
10.	Commissioner (Excise & Taxation) to the GoHP	*Member*
11.	MS (PCB)	*Member*
12.	Director (TCP)	*Member*
13.	Director (Health)	*Member*
14.	Director (IPR)	*Member*
15.	Member Secretary (SPCB)	*Member*
16.	MD Milkfed	*Member*
17.	Director (EST & CC)	*Convener*

8. Powers and Duties of the Scheme Administrator.—(1) The Scheme Administrator shall be responsible for the implementation of the Scheme;

(2) The Scheme Administrator shall create a separate fund as may be required in this Scheme;

(3) The Chairperson shall administer the functioning of the DRS and ensure free flow by creating necessary policy development and amendments ;

(4) The Convener shall promote awareness campaigns for propagating the Deposit Refund Scheme in the State with the help of high powered Members;

(5) The Secretary shall convene the meetings of the high-powered Committee atleast four times a year at such time and place as agreed by the Chairperson;

(6) The quorum necessary for the transaction of a business at a meeting of the high-powered Committee shall be four;

(7) The Chairperson when present shall preside at every meeting of the Committee and in his absence the senior most Member and in the absence of both any other Member shall preside at such meeting;

(8) Save as otherwise provided in the Scheme, all questions that come up before any meeting of the Committee shall be decided by a majority of Members present and voting. In the case of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote.

(9) The Scheme Administrator shall provide provisions for the appointment and appoint a Scheme Operator with the approval of Chairperson for the purpose of implementation of the Deposit Refund Scheme in the State;

(10) The Scheme Administrator shall have the powers, rights and authority to dispose of and channelize the collected DRS product either by Scheme Operator himself or through Scheme Operator;

(11) The Scheme Administrator shall notify the deposit value of each item specified in the schedule of the Act including any new item added from time to time;

(12) The Scheme Administrator where it is expedient to do so may add or omit any product category from the category of products under the Deposit Refund Scheme through a notification;

(13) The Scheme Administrator where it is expedient to do so shall prescribe the refundable deposit value on the DRS products through a notification;

(14) The Scheme Administrator shall prescribe the registration process for the manufacturers to comply with the obligation of the Scheme;

(15) The Scheme Administrator shall mandate the printing of Unique Serialised Identifier on the DRS product by the manufacturers ;

(16) The Scheme Administrator shall form or designate a society (Not for profit organization) or for the purpose of managing DRS escrow account;

(17) The Scheme Administrator shall monitor the operation of the escrow account designated for the purpose of the Deposit Refund Scheme in the State;

(18) The Scheme Administrator shall develop the Memorandum for the registration of manufacturers and conducting business of the Board of Society;

(19) The Scheme Administrator shall appoint such persons as required for the effective implantation of the Scheme as well as the effective functioning of the State Pollution Control Board;

(20) The Scheme Administrator shall collect, use, process, store, transfer all information collected under this Scheme as per the applicable Data Protection laws in India;

(21) The Scheme Administrator shall ensure that a gradual/ phased manner mechanism is adopted for smooth and sustainable implementation of DRS scheme e.g. under the scheme liquor bottles, cans can be prioritized in first phase.

(22) The Scheme Administrator shall ensure that some brand, type specific pilots are also undertaken after identifying the brands.

9. Scheme Operator.—(1) The Scheme Operator shall establish infrastructure including but not limited to collection, segregation, storage, transportation and disposal of the material collected through the Deposit Refund Scheme;

(2) The Scheme Operator shall deploy the digital applications, interface and procedure for securing the deposit and ensuring refund of the deposit under Deposit Refund Scheme;

(3) The Scheme Operator shall provide technology and support for printing and integration of Unique Serialised Identification to the manufacturers for the purpose of securing deposit;

(4) The Scheme Operator shall run and operate DRS at the State level in a manner that DRS shall be self-sustained by the value of collected material or any other fees as may be notified by Scheme Administrator from time to time;

(5) The Scheme Operator shall provide state of art technical support for grievance redressal and queries;

(6) The Scheme Operator shall establish collection points, define a collection mechanism, develop a reverse logistics mechanism of the collected DRS products

(7) The Scheme Operator shall have the absolute rights over the collected DRS product;

(8) The Scheme Operator shall ensure that the collected and segregated DRS products are recycled at the recycling or disposal facilities registered with the Himachal Pradesh State Pollution Control Board.

Provided that the Scheme Operator shall be authorized to channelize and dispose the collected DRS product with the recyclers authorized under any of the State Pollution Control Board of India;

(9) The Scheme Operator shall ensure that all the collected DRS products shall be disposed of in an environmentally sound manner;

(10) The Scheme Operator shall create dashboards for information dissemination and monitoring:

(11) The Scheme Operator shall take all actions as may be required towards integration of the informal sector into the Deposit Refund Scheme for the economic and social empowerment of the informal sector in consultation with the Scheme Administrator.

(12) The Scheme Operator shall place collection centers at as many as public convenient places so as to ease of access of consumer or end user.

(13) The Scheme Operator shall formulate SOPs for waste pickers, and shall ensure the incentives over and above to costs of material collected sold by waste pickers out of the ESCROW account. Some space and temporary locations are allotted for these waste pickers.

(14) The Scheme Operator shall pay the handling fee to these collection points to promote the collection of DRS product by paying a handling fee to the collection points. Such handling fees paid by the scheme operator to the said collection points shall be reimbursed from the unredeemed deposit, if available. In case of non-availability of Unredeemed Deposits, Scheme operators do not have any rights to claim the handling fee from Scheme Administrator.

10. Responsibilities of Urban Local Bodies, Gram Panchayats, and Himachal Pradesh Forest Department, SPCB.—(1) The Urban Local Bodies, Gram Panchayats, Himachal Pradesh Forest Department or any similar administrative body shall provide space for the development of collection points and material recovery facilities at their geographical jurisdiction;

(2) The Urban Local Bodies, Gram Panchayats, Himachal Pradesh Forest Department or any similar administrative body shall monitor that all the DRS products sold in the State are secured by refundable deposit;

(3) Identify and appoint a nodal officer to assist the Scheme Administrator for successful implementation of Deposit Refund Scheme in the applicable jurisdiction,

(4) The Urban Local Bodies, Gram Panchayats, Himachal Pradesh Forest Department or any similar administrative body shall ensure mass awareness creation of Deposit Refund Scheme through IEC activities;

(5) The appointment of the aforementioned nodal officer shall be the responsibility of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee under The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;

(6) Mandate retailers' participation through a notification in the respective geographical jurisdiction.

11. Responsibilities of Manufacturer.—(1) The collection of refundable deposit shall be secured through digitally printed Unique Serialized Identifier (USI) or any other technology as identified by the Scheme Administrator from time to time, valid for a defined period on the DRS product label printed or embossed;

(2) Manufacturers are mandated to secure a refundable deposit on the DRS product introduced in the State and shall be mandated to collect back the DRS product introduced in the Himachal Pradesh State through a Scheme Operator appointed by Scheme Administrator;

(3) Manufacturers shall be securing the refundable deposit as defined by scheme administrator prescribed here within this Scheme and deposit the same in the escrow account;

(4) The Manufacturers shall transfer in escrow account, an amount equivalent to consolidated deposits of the DRS products at the time of dispatch of DRS product from

manufacturing facility, where DRS products are manufactured. The said consolidated deposit shall be further passed on within the downstream supply chain until finally collected from the customer or end user;

(5) Manufacturers shall register themselves with the Scheme Administrator for participation in the Deposit Refund Scheme under this Scheme as per the modalities prescribed by Scheme Administrator;

(6) Manufacturers are obligated to share the relevant information as may be required and as notified by the Scheme Administrator for the purpose of Deposit Refund Scheme;

(7) Manufacturers shall be obliged to pay Reverse Collection Fee as prescribed by scheme administrator.

12. Responsibilities of Distributors.—(1) Distributors shall purchase the DRS product from Manufacturers along with the deposit secured over the fixed product price.

(2) Distributors shall only sell the DRS product to the supply chain below by collecting the additional deposit over the fixed product price.

13. Responsibilities of Retailer.—(1) Retailer shall purchase the DRS product from the distributor along with a deposit secured over the fixed product price;

(2) Retailer shall only sell the DRS product to the consumer by collecting a deposit ;

(3) Retailer shall inform the customer about the mandate to return the packaging and to get the refund of the deposit , by means of clearly recognizable and legible notices in the business premises;

14. Responsibilities of Collection Points.—(1) Collection points shall be established at the Urban Local Bodies and at Gram Panchayat, Forest Department level for collection of DRS product Points and refund of the deposit;

(2) All designated collection points shall accept at their place of business, from a redeemer any DRS product notified under this Scheme;

(3) The refund of the deposit must be in a legal tender; direct credit to the account or in cash;

(4) The processing of refund is subject to clear visibility of the Unique Serialized Identifier on the DRS product returned at the collection point;

(5) A redeemer can claim the deposit from the collection point which may be refunded from the escrow account directly to the account or in cash.

15. Responsibilities of Consumer and Redeemer.—(1) Shall only purchase DRS products with USI affixed on the product category pertinent to the Scheme;

(2) Shall be mandated to return the used DRS product with clearly legible and readable USI and without any foreign material.

16. Disposal Methodology of Collection Product.—(1) The collected DRS product under the Scheme shall be provided to the recyclers registered with Himachal Pradesh State Pollution Control Board in the state to enhance the recycling ecosystem in the State:

Provided that the Scheme Operator shall be authorized to channelize and dispose the collected DRS product with the recyclers authorized under any of the State Pollution Control Board of India in case adequate recyclers are not available in the State;

(2) The disposal process shall follow the guidelines set by the State Pollution Control Board or the approved methodologies of the Central Pollution Control Board

PART-IV—MISCELLANEOUS

17. Imposition of Penalty.—(1) Penalty shall be based as per the Polluter Pays Principle with respect to non-fulfilment of obligations defined under this Scheme;

(2) Scheme Administrator shall levy the Penalty on Manufacturers, Distributors and Retailers in case of non-fulfilment of obligations set out in the Scheme, and the same shall be notified;

(3) Payment of Penalty shall not absolve the manufacturers, distributors and retailers of the obligations set out in the Scheme;

(4) The Penalty collected shall be utilized in the implementation of the Deposit Refund Scheme.

18. Penalty for Unlawful Possession of Property .—(1) Whoever is found, or is proved to have been, in possession of any Property reasonably suspected of having been stolen or unlawfully obtained shall, unless he proves that the Property came into his possession lawfully, be punishable as per law.

19. Application of Un-redeemed Deposit.—(1) The Unredeemed Deposit shall be applied by the Scheme Administrator to meet the expenditure incurred in connection with measures and facilities which, in the opinion of the Scheme Administrator are necessary or expedient to promote the Deposit Refund Scheme and in particulars:—

(a) To provide required funds for the implementation and operation of the Deposit Refund Scheme;

(b) To sanction any money in aid of any scheme for the welfare of the Deposit Refund Scheme;

(c) To meet the allowances if any, of the members of the High Powered Committee, and Scheme Administrative Committee and Scheme Operator under Point No. 4, 6 & 7 respectively and the salaries and allowances, if any of persons appointed under this Scheme;

(d) Any other expenditure which the State Government may direct to be defrayed from the Un-redeemed Deposit;

(2) The Scheme Administrator shall have the power to decide whether any particular expenditure is or is not debitable to the Un-redeemed Deposit and its decision shall be final.

20. Protection of Action taken in Good Faith.—(1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or the existing or new Government, Company or any Officers or any other employee of the Deposit Refund Scheme for anything which is in good faith done or intended to be done under the Scheme;

21. Power to Remove Difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Scheme, the State Government may, by order remove the difficulty;

22. Members, Officers and Employees of the Deposit Refund Scheme to be Public Servant.—(1) All the Members and all Officers and Employees of the Deposit Refund Scheme when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of the Scheme shall be deemed to be Public Servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

23. Execution of Pilot Projects.—(1) One location shall be identified within the State to launch a small pilot program for the Deposit Refund Scheme (DRS). This pilot project may serve as a model for evaluating the feasibility, effectiveness, and potential challenges of implementing the DRS across the State.

By order,

PRABODH SAXENA,
Chief Secretary.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 17 / 2025 दिनांक मरजुआ : 24—03—2025

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री धर्म दास पुत्र स्व0 श्री हरु राम, निवासी गांव शनाह, डाकघर कोयल, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता ‥ फरीकदोयम।

प्रार्थना पत्र.—U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री धर्म दास पुत्र स्व0 श्री हरु राम, निवासी गांव शनाह, फाटी नित्थर, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में धर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री हरु लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम धर्म दास पुत्र स्व0 श्री हरु राम है। ग्राम पंचायत नित्थर के रिकार्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकार्ड तथा पहचान—पत्र में धर्म दास दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में धर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री हरु के स्थान पर धर्म दास पुत्र स्व0 श्री हरु राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में धर्म सिंह के स्थान पर धर्म दास पुत्र स्व0 श्री हरु राम दुरुस्त करने बारा

कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 14—07—2025 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 13—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री संजय कुमार पुत्र श्री कालू राम पुत्र श्री दिलू, निवासी गांव व डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रकाशन इश्तहार बाबत दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

नोटिस बनाम—आम जनता

श्री संजय कुमार पुत्र श्री कालू राम पुत्र श्री दिलू, निवासी गांव व डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा पटवार वृत्त बड़ाग्रां तथा पटवार वृत्त पतलीकुहल के राजस्व अभिलेख में अपने नाम दुरुस्ती के लिए आवेदन किया है कि उक्त दोनों राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम संन्जू/संजीव कुमार दर्ज है जोकि गलत है जबकि मेरा नाम संजय कुमार है जोकि सही व दुरुस्त है। जिस कारण आवेदक अपना नाम संन्जू उर्फ संजय कुमार पटवार वृत्त बड़ाग्रां व पटवार वृत्त पतलीकुहल के राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है। जिस बाबत आवेदक ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार नकल, जमाबन्दी, ब्यान हल्फिया तथा रिपोर्ट उप—प्रधान ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, रिपोर्ट पटवारी पटवार वृत्त बड़ाग्रां व रिपोर्ट पटवारी पटवार वृत्त पतलीकुहल लिखित ब्यान आवेदक से पाया गया कि आवेदक का सही नाम संजय कुमार है और उक्त नाम को पटवार वृत्त बड़ाग्रां तथा पटवार वृत्त पतलीकुहल के राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री सन्जू उपनाम श्री संजय कुमार के नाम दुरुस्ती पटवार वृत्त बड़ाग्रां तथा पटवार वृत्त पतलीकुहल के राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 05 जुलाई, 2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार पटवार वृत्त बड़ाग्रां तथा पटवार वृत्त पतलीकुहल के राजस्व अभिलेख में सही नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 31 मई, 2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री धन बहादुर त्रिपाठी पुत्र श्री जय बहादुर त्रिपाठी, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डाकघर जगतसुख, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री धन बहादुर त्रिपाठी पुत्र श्री जय बहादुर त्रिपाठी, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डाकघर जगतसुख, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री अनिता त्रिपाठी का जन्म 06–03–2014 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत जगतसुख के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि अनिता त्रिपाठी पुत्री श्री धन बहादुर की जन्म तिथि 06–03–2014 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को अनिता त्रिपाठी पुत्री श्री धन बहादुर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 07–07–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत जगतसुख के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री फुरपा सांगो पुत्र श्री दसांग तमांग, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव आलू ग्रांऊड, डाकघर कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री फुरपा सांगो पुत्र श्री दसांग तमांग, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव आलू ग्रांऊड, डाकघर कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि

उनके पुत्र श्री आयुष का जन्म 27–01–2010 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत शलीन के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि आयुष पुत्र श्री फुरपा सांगो की जन्म तिथि 27–01–2010 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आयुष पुत्र श्री फुरपा सांगो की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 07–07–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत शलीन के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती वन्ती देवी पुत्री श्री तेज राम, निवासी गांव व डाकघर बडाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती वन्ती देवी पुत्री श्री तेज राम, निवासी गांव व डाकघर बडाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि आवेदिका का जन्म 17–09–1974 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत बडाग्रां के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, ग्राम पंचायत बडाग्रा तथा क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्रीमती वन्ती देवी पुत्री श्री तेज राम की जन्म तिथि 17–09–1974 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती बन्ती देवी पुत्री श्री तेज राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 05–07–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत बडाग्रां के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री शेर सिंह पुत्र श्री डीनू राम, निवासी गांव कुंलग, डाकघर पलचान, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रकाशन इश्तहार बाबत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम—आम जनता

श्री शेर सिंह पुत्र श्री डीनू राम, निवासी गांव कुंलग, डाकघर पलचान, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में अपने दादा स्व0 श्री सुरतू की मृत्यु का पंजीकरण करने बारे आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसके दादा श्री सुरतू की मृत्यु दिनांक 12—12—1978 को हुई है परन्तु यह ग्राम पंचायत पलचान के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि आवेदक के दादा की मृत्यु तिथि 12—12—1978 है तथा मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को स्व0 श्री सुरतू की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 05—07—2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत पलचान के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती नैना देवी पुत्री श्री गोविन्द राम, निवासी गांव व डाकघर वुरुआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती नैना देवी पुत्री श्री गोविन्द राम, निवासी गांव व डाकघर वुरुआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उनका जन्म 07—01—1971 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत वुरुआ के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना

चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्रीमती नैना देवी पुत्री श्री गोविन्द राम की जन्म तिथि 07–01–1971 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती नैना देवी पुत्री श्री गोविन्द राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 25–07–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत वुरुआ के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती अनिता शेरपा पत्नी श्री फुरपा शेरपा, निवासी भोटीकोशी, वार्ड नं0 1, सिन्धपाल चौक नेपाल, हाल निवासी गांव आलू ग्रांऊड, डाकघर कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती अनिता शेरपा पत्नी श्री फुरपा शेरपा, निवासी भोटीकोशी, वार्ड नं0 1, सिन्धपाल चौक नेपाल, हाल निवासी गांव आलू ग्रांऊड, डाकघर कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री सोनम छुकी शेरपा का जन्म 22–11–2018 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत शलीन के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि कुमारी सोनम छुकी शेरपा पुत्री श्री फुरपा शेरपा की जन्म तिथि 22–11–2018 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को कुमारी सोनम छुकी शेरपा पुत्री श्री फुरपा शेरपा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 25–07–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत शलीन के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate Anni, Distt. Kullu (H.P.)

Purshotam Singh . . *Applicant.*

Vs

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Notice Under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Sh. Purshotam Singh s/o Sh. Pune Ram, Village Thanach, P.O. Jaon, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event born on 30-06-1968, has not been entered in the record of Gram Panchayat Lajheri.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the applicant Sh. Purshotam Singh s/o Sh. Pune Ram, Village Thanach, P.O. Jaon, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. born on 30-06-1968, in the Panchayat record of Gram Panchayat Lajheri, Tehsil Anni, District Kullu, H.P., he/she/they may file his/her/their objection on or before 25-07-2025, before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 27th of May, 2025.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate Anni,
Distt. Kullu (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate Anni, Distt. Kullu (H.P.)

Bale Ram . . *Applicant.*

Vs

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Notice Under Section 37 of Land Revenne Act, 1954 Correction of name in Revenue Record.

Sh. Bale Ram s/o Sh. Jarbu, Village Karshala Phatti, Karshaigad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application for correction of his name in revenue record in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating therein he is owner of the land in Phati Karshaigad of Tehsil Anni, District Kullu. In the application, the applicant has prayed that the entry in revenue record with respect to name is not correct *i.e.* Balea Ram s/o Sh. Jarbu. The applicant has attached Copy of Aadhar Card, Nakal Parivar Register, alongwith an affidavit wherein, the name of the applicant's name has been shown as Bale Ram s/o Jarbu.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding correction of name in revenue record of said applicant Sh. Bale

Ram s/o Sh. Jarbu, Village Karshala Phatti, Karshaigad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. Sh. Bala Ram s/o Sh. Jarbu instead of Bale Ram s/o Sh. Jarbu then he may file his objection before the undersigned before 25-07-2025, an any working day. Failing which the *ex-parte* order with regards to correction of name will be passed.

Given under my seal and signature on this 27th of May, 2025.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate Anni,
Distt. Kullu (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

किशन पुत्र श्री सुख दास, गांव फूडा, डा0 जहालमा, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति। . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.—— राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

किशन पुत्र श्री सुख दास, गांव फूडा, डा0 जहालमा, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन–पत्र शपथ–पत्र सहित (बराये नाम दुरुस्ती) इस अदालत में प्रस्तुत किया है। जिसमें आवेदक ने उल्लेख किया है कि मेरा नाम पंचायत परिवार रजिस्टर आधार कार्ड, पेन कार्ड व अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र में किशन पुत्र श्री सुख दास है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांशा के महाल शांशा में कृष्ण पुत्र सुखदास दर्ज है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति विशेष यानि मेरे ही हैं। अतः प्रार्थी भू–राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांशा के मौहाल शांशा में अपना नाम दुरुस्त करके किशन पुत्र सुखदास के स्थान पर कृष्ण उर्फ किशन पुत्र सुखदास दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के नाम को भू–राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांशा मोहाल शांशा में दुरुस्त कर किशन पुत्र सुखदास के स्थान पर कृष्ण उर्फ किशन पुत्र सुखदास दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 02–07–2025 तक असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के नाम को भू–राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांशा मोहाल शांशा में दुरुस्त कर किशन पुत्र सुखदास के स्थान पर कृष्ण उर्फ किशन पुत्र सुखदास दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02–06–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,
जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

बिशन बोध पुत्र श्री सुख दास, गांव फूडा, डा0 जहालमा, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.—— राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

बिशन बोध पुत्र श्री सुख दास, गांव फूडा, डा0 जहालमा, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन–पत्र शपथ–पत्र सहित (बराये नाम दुरुस्ती) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें आवेदक ने उल्लेख किया है कि मेरा नाम पंचायत परिवार रजिस्टर आधार कार्ड, पेन कार्ड व अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र में बिशन बोध पुत्र श्री सुख दास है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांशा के महाल शांशा में विशन पुत्र सुखदास दर्ज है। अतः प्रार्थी भू–राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांशा के मौहाल शांशा में अपना नाम दुरुस्त करके बिशन पुत्र सुखदास के स्थान पर विशन उर्फ बिशन बोध पुत्र सुखदास दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के नाम को भू–राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांशा मोहाल शांशा में दुरुस्त कर विशन पुत्र सुखदास के स्थान पर विशन उर्फ बिशन बोध पुत्र सुखदास दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 02–07–2025 तक असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के नाम को भू–राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शांशा मोहाल शांशा में दुरुस्त कर विशन पुत्र सुखदास के स्थान पर विशन उर्फ बिशन बोध पुत्र सुखदास दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02–06–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,
जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 05 / 2025 तिथि मरजुआ : 02–06–2025

उनवान मुकद्दमा : अधीन धारा 13(3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण बारे।

संदीप पुत्र स्व0 श्री राम सिंह, गांव युरामुर्ती, डाकघर कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.——अधीन धारा 13(3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण बारे।

संदीप पुत्र स्व0 श्री राम सिंह, गांव युरामुर्ती, डाकघर कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति की ओर से शपथ–पत्र सहित (बराये जन्म तिथि पंजीकरण) District Registrar (D&B)-*cum*-Chief Medical Officer, District L&S at Keylong के कार्यालय पत्र संख्या HFW-LSP/ST (B&D) 2025/ 1691-92, Dated 17-05-2025 के माध्यम इस कार्यालय को दिनांक 20–05–2025 को प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदक संदीप कुमार ने शपथ–पत्र व अन्य दो गवाहों के शपथ–पत्र सहित निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री राम सिंह की मृत्यु दिनांक 18–07–1979 को घर पर हुई है, और यही मेरे पिता जी की असली मृत्यु तिथि है। मेरे पास मेरे जन्म से जुड़ा कोई भी दस्तावेज नहीं है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को आवेदक संदीप पुत्र स्व0 श्री राम सिंह, गांव युरामुर्ती, डाकघर कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति के पिता की मृत्यु तिथि 18–07–1979 ग्राम पंचायत कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति के जन्म / मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने में कोई उजर / एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 02–07–2025 तक असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक रिपोर्ट पंजीयक जन्म एवं मृत्यु एवं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला लाहौल स्पीति के कार्यालय से प्राप्त दस्तावेजों व संलग्न शपथ–पत्रों के आधार पर आवेदक संदीप कुमार के पिता की मृत्यु तिथि 18–07–1979 ग्राम पंचायत कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 02–06–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर, उप–तहसील उदयपुर
जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)

शान्ति देवी पुत्री सोनम दावा हाल पता पत्नी राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव व डा0 जोबरंग, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि शान्ति देवी पुत्री सोनम दावा हाल पता पत्नी राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव व डा0 जोबरंग, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला लाहौल एवं स्पीति स्थित केलांग को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 15–04–1970 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जहालमा के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है, अब प्रार्थिया उपरोक्त जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत जहालमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। उक्त प्रार्थना–पत्र जिला रजिस्ट्रार ने इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि शान्ति देवी पुत्री सोनम दावा हाल पता पत्नी राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव व डा0 जोबरंग, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) की जन्म तिथि 15–04–1970 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जहालमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त शान्ति देवी की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 10 / NCNT / 2025 तारीख मरजुआ : 25–04–2025

किशन चन्द पुत्र मानू, निवासी गांव झोलिंग, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी किशन चन्द पुत्र मानू, निवासी गांव झोलिंग, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल डी0पी0एफ0 गिलडिंग में प्रार्थी का नाम किशनू उर्फ रामकिशन पुत्र मानू दर्ज कागजात है, जोकि गलत है जबकि शपथ–पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम किशन चन्द पुत्र मानू है जो सही है। अब प्रार्थी महाल डी0पी0एफ0 गिलडिंग के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर किशन चन्द करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 13–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 09/NCNT/2025 तारीख मरजुआ : 25–04–2025

किशन चन्द पुत्र मानू, निवासी गांव झोलिंग, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी किशन चन्द पुत्र मानू, निवासी गांव झोलिंग, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल झोलिंग में प्रार्थी का नाम किशनू पुत्र मानू दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि शपथ–पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम किशन चन्द पुत्र मानू है जो सही है। अब प्रार्थी महाल झोलिंग के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर किशन चन्द करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 13–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 11/NCNT/2025 तारीख मरजुआ : 26–04–2025

रूप सिंह पुत्र दिले राम, निवासी गांव व डा0 त्रिलोकनाथ, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी रूप सिंह पुत्र दिले राम, निवासी गांव व डा0 त्रिलोकनाथ, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल त्रिलोकनाथ में प्रार्थी का नाम प्रेम लाल पुत्र दिले राम दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि शपथ–पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम रूप सिंह पुत्र दिले राम है जो सही है। अब प्रार्थी महाल त्रिलोकनाथ के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर रूप सिंह करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 13–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 12 / NCNT / 2025

तारीख मरजुआ : 13–05–2025

बलेश्वर पुत्र बलदेव, निवासी गांव नालडा, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी बलेश्वर पुत्र बलदेव, निवासी गांव नालडा, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल नालडा में प्रार्थी का नाम निर्मल सिंह दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि शपथ–पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम बलेश्वर है जो सही है। अब प्रार्थी महाल नालडा के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर बलेश्वर करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा

कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 13—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील उदयपुर, जिला लाहौल—स्पीति (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील उदयपुर, जिला लाहौल—स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 13/NCNT/2025 तारीख मरजुआ : 13—05—2025

बली राम पुत्र पुरम चन्द, निवासी गांव सलग्रां, उप—तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी बली राम पुत्र पुरम चन्द, निवासी गांव सलग्रां, उप—तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल सलग्रां में प्रार्थी का नाम वलराम दर्ज कागजात है, जोकि गलत है जबकि शपथ—पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम बली राम है जो सही है। अब प्रार्थी महाल सलग्रां के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर बली राम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 13—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील उदयपुर, जिला लाहौल—स्पीति (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 17 / NCNT / 2025 तारीख मरजुआ : 30–05–2025

प्रेम चन्द पुत्र सजे राम, निवासी गांव थनवाणी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी प्रेम चन्द पुत्र सजे राम, निवासी गांव थनवाणी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल थनवाणी में प्रार्थी के पिता का नाम बदरू दर्ज कागजात है, जोकि गलत है जबकि शपथ–पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम सजे राम है जो सही है। अब प्रार्थी महाल थनवाणी के राजस्व अभिलेख में अपने पिता का नाम दुरुस्त कर सजे राम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 31–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 16 / NCNT / 2025 तारीख मरजुआ : 30–05–2025

काशीम चन्द पुत्र माधो राम, निवासी गांव सलग्रां, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी काशीम चन्द पुत्र माधो राम, निवासी गांव सलग्रां, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल सलग्रां में प्रार्थी का नाम कशम चन्द दर्ज कागजात है, जोकि गलत है जबकि शपथ–पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम काशम चन्द है जो सही है। अब प्रार्थी महाल सलग्रां के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर काशम चन्द करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 31–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 18 / NCNT / 2025 तारीख मरजुआ : 09–06–2025

राजू पुत्र दवा राम, निवासी गांव त्रिलोकनाथ, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी राजू पुत्र दवा राम, निवासी गांव त्रिलोकनाथ, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल त्रिलोकनाथ में प्रार्थी के पिता का नाम धावा दर्ज कागजात है, जोकि गलत है जबकि शपथ–पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम दवा राम है जो सही है। अब प्रार्थी महाल त्रिलोकनाथ के राजस्व अभिलेख में अपने पिता का नाम दुरुस्त कर दवा राम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा

कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 10—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील उदयपुर, जिला लाहौल—स्पीति (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : / 2025

श्री जय किशन पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री जय किशन पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय कैसिस / 2025—7185, दिनांक 18—10—2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 18—03—1974 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत बांगरन के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 04—07—2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री जय किशन पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 04—07—2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

——————————

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती अंजना पुत्री श्री सही राम, निवासी डाकघर भाटन भुजौण्ड, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती अंजना पुत्री श्री सही राम, निवासी डाकघर भाटन भुजौण्ड, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 01–09–1985 है और उसे ग्राम पंचायत / नगर पालिका भाटन भुजौण्ड के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12–07–2025 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर अंजना की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 12–06–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री डाकिन्दर पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव अगड़ीवाला, डा0 हरीपुर खोल, ग्राम पंचायत मात्तर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस

प्रार्थी श्री डाकिन्दर पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव अगड़ीवाला, डा0 हरीपुर खोल, ग्राम पंचायत मात्तर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-13509, दिनांक 20–03–2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, स्कूल प्रमाण–पत्र, नकल परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 11–05–1977 है, जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सका है। परन्तु अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 14—07—2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री डाकिन्दर पुत्र श्री अमर सिंह की जन्म तिथि 11—05—1977 ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 12—06—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती अनिता कुमारी पत्नी श्री मदन गोपाल पुत्री श्री भागीरथ, निवासी मोहल्ला ढाबू, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस

प्रार्थिया श्रीमती अनिता कुमारी पत्नी श्री मदन गोपाल पुत्री श्री भागीरथ, निवासी मोहल्ला ढाबू, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-2364, दिनांक 19—05—2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, भारतीय निर्वाचन आयोग पहचान पत्र आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01—05—1974 है, जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी नगरपालिका में दर्ज न करवा सके हैं। अब वह अपनी जन्म तिथि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 14—07—2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती अनिता कुमारी पत्नी श्री मदन गोपाल, निवासी मोहल्ला ढाबू, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01—05—1974 नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 13—06—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Sh. R.N. Ghanolta, Assistant Collector IInd Grade, Nahan, Tehsil Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Km. Priyanka d/o Sh. Husan Singh, r/o Village Gumti, P.O. Palion, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondents.*

Application for correction of name in Aadhar Card of applicant Km. Priyanka.

Whereas, Km. Priyanka d/o Sh. Husan Singh, r/o Village Gumti, P.O. Palion, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) has filed an application alongwith copy of his Aadhar Card, Affidavit, Bonafide Himachli, Copy of Pariwar Register, School Certificate etc. in the court of the undersigned to correct his name as Priyanka d/o Sh. Husan Singh in place of Prinka d/o Sh. Husan Singh in his Aadhar Card.

Now, therefore, objections are invited from the General Pubic that if anyone has any objection regarding to correct name of applicant as Priyanka d/o Sh. Husan Singh in place of Prinka d/o Sh. Husan Singh in her Aadhar Card then they should appear before the court of undersigned on or before 14-07-2025 either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 12-06-2025.

Seal. Sd/-

(R.N. GHANOLTA),
Assistant Collector IInd Grade,
Nahan, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H. P).

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी स्व0 मगनी राम, निवासी गांव शरोग, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी स्व0 मगनी राम, निवासी गांव शरोग, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है। प्रार्थिया अपने पति स्व0 मगनी राम पुत्र कलिया पुत्र चुन्चू के मृत्यु पंजीकरण को दर्ज करवाना चाहती है जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत बान्दली में दर्ज नहीं किया है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन पत्र मय हल्फी ब्यान, प्रपत्र 10 तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पति का मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 20—07—2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के पति स्व0 मगनी राम पुत्र कलिया पुत्र चुन्चू के मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / —

(मोहन लाल),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री कबंर सिंह पुत्र स्व0 कलिया, निवासी गांव मानल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कबंर सिंह पुत्र स्व0 कलिया, निवासी गांव मानल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है। प्रार्थी अपनी माता जूनो पत्नी कलिया के मृत्यु पंजीकरण को दर्ज करवाना चाहता है जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत बान्दली में दर्ज नहीं किया है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हल्फी ब्यान, प्रपत्र 10 तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन जिला, सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता जूनो पत्नी कलिया का मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 20—07—2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की माता जूनो पत्नी कलिया के मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
(मोहन लाल),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री धन्ना राम, निवासी गांव कुफर, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री धन्ना राम, निवासी गांव कुफर, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है। प्रार्थी अपना नाम व जन्म दिनांक 03—02—1982 को दर्ज करवाना चाहता है जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत बान्दली में दर्ज नहीं किया है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हल्फी ब्यान, प्रपत्र 10 तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 20—07—2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 03—02—1982 व नाम ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
(मोहन लाल),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Sh. Gunjeet Singh Cheema, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh 173025

In the matter of:

1. Sh. Rahul Saini s/o Sh. Raghubir Singh Saini, r/o Village Mohakpur Nawada, P.O. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

2. Saba Ansari d/o Sh. Khursheed Ali, r/o Village Mohakpur Nawada, P.O. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Vs

General Public

Application for the registration of marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954

Sh. Rahul Saini s/o Sh. Raghubir Singh Saini, r/o Village Mohakpur Nawada, P.O. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Saba Ansari d/o Sh. Khursheed Ali, r/o Village Mohakpur Nawada, P.O. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. has filed an application alongwith affidavits in this court under section 15 of Special marriage Act 1954 on dated 30-04-2025 stating therein that they have solemnized their marriage on 18-12-2024 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and General Public to this effect that if anybody have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 18-12-2024 between Sh. Rahul Saini s/o Sh. Raghubir Singh Saini, r/o Village Mohakpur Nawada, P.O. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Saba Ansari d/o Sh. Khursheed Ali, r/o Village Mohakpur Nawada, P.O. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P., he/she should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of publication of this notice. After expiry of the said period the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and official seal of this court on 14-05-2025.

Seal. Sd/-

(GUNJEET SINGH CHEEMA, HAS),
Marriage Officer-cum-*SDM,*
Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

Before Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate Nahan, Sub-Division Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION-16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas, Sh. Jagdish s/o Sh. Krishan, r/o Village Rukhri, P.O. Shambhuwala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P & Smt. Bhagwanti d/o Sh. Geeta Ram, r/o Near Khairwala, P.O. Bir Bikramabag, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. have filed an application for the registration of their marriage U/s 15 of the Special Marriage Act 1954, which was solemnized on 16-01-2025 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are hereby given to all concerned and General Public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Jagdish s/o Sh. Krishan r/o Village Rukhri, P.O. Shambhuwala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P & Smt. Bhagwanti d/o Sh. Geeta Ram, r/o Near Khairwala, P.O. Bir Bikramabag, Tehsil Nahan, District Sirmaur, then they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of

issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 21st day of May, 2025.

Seal. Sd/-

Marriage Officer,
Under Special Marriage Act-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Nahan, District Sirmaur (H.P.).

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला -2 26 **जून**, 2025

संख्या : एच.एस.जी.-सी(8)-1/2023-पार्ट-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के नियम 4 के साथ पठित नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 9 गांवों नामत: 1. मझौला 2. आन्जी 3. शिल्डू 4. दनोखर 5. शिल्ली बागी 6. पन्टी 7. कयारगी 8. चानन तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला और 9. मझियारी उप तहसील ममलीग, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को इस अधिसूचना के अंतिम पैरा में यथा विनिर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई कार्यान्वित करने के लिए सशक्त करते हैं।

तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला और उप-तहसील ममलीग, जिला सोलन में उपरोक्त 9 गांवों का प्रस्तावित भूमि रकवा लगभग 414-91-77 हेक्टेयर अर्थात 4921-18 बीघा सरकारी भूमि और प्राइवेट भूमि जिनके गाँव और खसरा नम्बरवार ब्यौरे उपाबंध "क" पर संलग्न हैं, को हिमाचल प्रदेश सरकार माउंटेन टाउनशिप जाठीया देवी, शिमला (हिल्स) के संनिर्माण के लिए अर्जित किया जाना है।

जाठीया देवी में काउन्टर मैगनेट सिटी के विकास के पीछे का उद्देश्य शिमला शहर की अधिक जनसंख्या के दवाब और पर्यावरणीय गिरावट को कम करना है। जनसंख्या की बढ़ती मांगों को पूरा करने और सुरक्षित एवं सुनियोजित वातावरण के साथ उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए भी इस परियोजना की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। पर्वतीय टाउनशिप में किफायती आवास, मजबूत अवसरंचना, उच्च गुणवता वाली शिक्षा और स्वस्थ्य देखभाल, व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन, पर्याप्त सामाजिक सुख-सुविधाएं और हरित पहल और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर विशेष जोर दिया जाएगा।

अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि सामाजिक समाघात के निर्धारण अवधि के दौरान प्रताड़ना या धमकी का कोई प्रयास इस क्रिया को अकृत (वातिल) और शून्य कर देगा और सामाजिक समाघात निर्धारण को इसके प्रारम्भ से छह मास की अवधि के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई परामर्श, सर्वेक्षण और सार्वजनिक सुनवाइयाँ करेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई यह भी सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण का अध्ययन करते समय पंचायतों और ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई अध्ययन करते समय सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना से विभिन्न घटकों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर विचार करेंगे जैसे कि प्रभावित

कुटुम्बों की आजीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक परिसम्पतियों, अस्तियों तथा अवसंरचना विशिष्टतया सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, जल-निकासी संकर्म, स्वच्छता, पेयजल स्त्रोतों, पशुओं के लिए जल स्त्रोत, सामुदायिक जलाश्यों, चरागाह भूमि, बगानों, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे डाकघर, उचित मूल्य की दुकानों, खाद्य भंडारण गोदामों, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधायों, स्कूल (विद्यालय) और शैक्षणिक या प्रशिक्षण सुविधाओं, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान, पूजा-स्थलों, पारम्परिक जनजातीय संस्थाओ के लिए भूमि और कब्रिस्तान और दाह संस्कार स्थल पर होने वाले सम्भाव्य समाघात पर विचार करेगी । सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, अन्य मामलों के साथ-साथ भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा (4) और (5) के अधीन तथा तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचीबद्ध सभी मदों पर विचार करेगी ।

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, परामर्श, सर्वेक्षण और सार्वजनिक सुनवाई को पूर्ण करने के पश्चात उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (3) के उपबन्धो की अपेक्षाओं के अनुसार प्ररूप-II में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन परियोजना के समाघात का समाधान करने के लिए अपेक्षित सुधारक उपायों को सूचीबद्ध करते हुए उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (4) के अधीन प्ररूप-III में प्रबंधन योजना तैयार करेगी ।

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, जो हिमाचल प्रदेश सरकार का एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम है जाठीया देवी में माउंटेन टाउनशिप शिमला हिल्स का संनिर्माण करेगा और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2(1)(ख) के उपबन्धों के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के पक्ष में भू-अर्जन की जानी प्रस्तावित है । इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित सहमति से सम्बन्धित उपबंध, वर्तमान भू-अर्जन के लिए लागू होंगे ।

हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग ने अधिसूचना नस्ति संख्या: रैव-बीए(3)-3/2014-II तारीख 27-11-2015 द्वारा निम्नलिखित रीति से सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई का गठन किया है ।

क्र० सं०	नाम व पता	पदनाम	संपर्क न०
1.	निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान, शिमला ।	अध्यक्ष	0177-2734777
2.	उप सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य	0177-2626497
3.	प्रभारी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान, शिमला ।	सदस्य	0177-2734675
4.	विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र एवं सामाजिक कार्य विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला ।	सदस्य	0177-2833872
5.	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौधयोगिकी विभाग, शिमला ।	सदस्य	0177-2816047

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
(देवेश कुमार),
प्रधान सचिव (आवास) ।

[Authoritative English text of this Department Notification No. HSG-C(8)-1/2023-Pt-II, dated 26-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOUSING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th June, 2025

No. HSG-C(8)-1/2023-Pt-II.—In exercise of powers conferred by rule 3 read with rule 4 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to empower the Social Impact Assessment unit as specified in the concluding para of this notification to carry out Social Impact Assessment for the purpose of proposed Land Acquisition in 9 Villages, namely 1. Majhola, 2. Anji, 3. Shildu, 4. Danokhar, 5. Shilly Baghi, 6. Panti, 7. Kayargi, 8. Chanan, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla and 9. Majhayari Sub Tehsil Mamlig, District Solan H.P.

The Village and Khasra number wise detail of the proposed land in above 9 Villages in Tehsil Shimla (Rural), District Shimla and Sub-Tehsil Mamlig, District Solan, H.P. measuring about **414-91-77** hectares *i.e.* **4921-18** bighas of Govt. land and Private land attached as **Annexure "A"** is to be acquired by the Government of Himachal Pradesh for the construction of **Mountain Township Shimla Hills at Jathia Devi'—**

The purpose behind the development of the counter magnet city at Jathia Devi is to reduce the pressures of the overpopulation congestion and environmental degradation of the Shimla Town. The need for the project also arises to fulfill the increasing demands of the population and to ensure a high standard of living with safe and well planned environment. The mountain township will include affordable housing, robust infrastructure, high quality education and health care, incentive for businesses, ample social amenities and special emphasis on green initiatives and public transport system.

Thus, it is made clear that any attempt at coercion or threat during Social Impact Assessment period will render the exercise as null and void and the Social Impact Assessment will be carried out within a period of six months from its commencement. The Social Impact Assessment Unit shall hold consultation, survey and public hearings. The Social Impact Assessment Unit shall also ensure that adequate representation is given to the representatives of Panchayats and Gram Sabha, at the stage of carrying out the Social Impact Assessment.

While considering a Social Impact Assessment study, the Social Impact Assessment Unit shall amongst other things take into consideration the impact that the project is likely to have on various components such as livelihoods of affected families, public and community properties, assets and infrastructure, particularly roads, public transport, drainage, sanitation, source of drinking water, sources of water for cattle, grazing land, plantations, public utilities such as post offices, fair price shops, food storage, godowns, electricity supply, health care facilities, schools and educational and training facilities, anganwadi, Children's parks, places of worship, land for traditional tribal institutions and tombs and cremation grounds. The Social Impact Assessment Unit shall amongst other matter consider/ cover all the aspects listed under section 4(4) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Act, 2013 and the rules made there-under.

The Social Impact Assessment Unit after completion of consultation, survey and public hearing shall prepare a Social Impact Assessment Study report in Form-II under sub-rule (3) of rule 3 of the rules ibid and a Social Impact Management Plan listing the ameliorative measures required to be undertaken for addressing the Impact of the project under sub-section (6) of section 4 of the Act ibid in Form-III under sub-rule (4) of rule 3 of the said rules.

The Housing and Urban Development Authority which is going to construct the **Mountain Township Shimla Hills at Jathia Devi** is a Public Sector Undertaking of Government of HP and the land is being proposed to acquire in favour of Housing and Urban Development Authority under Section 2(1)(b) of the Act *ibid.* Hence, the provision relating to consent as required under section 2(2) of the Act ibid are also applicable in the instant acquisition.

The Himachal Pradesh, Revenue Department vide notification No. Rev. B.A(3)-3/2014-II, dated 27-11-2015 has constituted the Social Impact Assessment Unit in the following manner:—

Sl. No.	Name & Address	Designation	Contact information
1.	Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla.	Chairperson	0177-2734777
2.	Deputy Secretary (Revenue) to the Govt. of H.P., H.P. Secretariat, Shimla-171002.	Member Secretary	0177-2628497
3.	The In-charge, State Institute of Rural Development HIPA Shimla.	Member	0177-2734675
4.	Head of Department of Sociology and Social Work, H.P. University, Shimla H.P.	Member	0177-2833872
5.	Chief Scientific Officer, Department of Environment, Science & Technology, Shimla.	Member	0177-2816047

By order,

Sd/-
(DEVESH KUMAR),
Principal Secretary (Housing).

CHANGE OF NAME

I, Gori Devi w/o Sh. Sant Ram, r/o House No. 72, RC Colony, V.P.O. Jamthal, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Gauri Devi to Gori Devi. All concerned note.

GORI DEVI
w/o Sh. Sant Ram,
r/o House No. 72, RC Colony, V.P.O. Jamthal,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rita Attri w/o Sh. Ishwar Dutt, r/o Village Dungiser, P.O. Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) declare that in the school record of my son Hemang Sharma the father name is entered as Ishwar Dutt Sharma, whereas correct name is Ishwar Dutt. I want to get my husband's name changed from Ishwar Dutt Sharma to Ishwar Dutt in my son's school record. All concerned may note.

RITA ATTRI
w/o Sh. Ishwar Dutt,
r/o Village Dungiser, P.O. Kotbeja,
Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rita Attri w/o Sh. Ishwar Dutt, r/o Village Dungiser, P.O. Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) declare that my husband name is entered as Ishwar Dutt Sharma in my service record. The correct name of my husband is Ishwar Dutt. I want to change my husband's name from Ishwar Dutt Sharma to Ishwar Dutt in my service record and other concerned records. All concerned may note.

RITA ATTRI
w/o Sh. Ishwar Dutt,
r/o Village Dungiser, P.O. Kotbeja,
Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Aman Verma s/o Sh. Ashok Kumar, r/o B-43, Sector-2, New Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.)-171009 declare that I have passed 10+2 examination from CBSE Board under Roll Number 5840333 but in my 10+2 certificate my father's name is inadvertently entered as Ashok Verma. His name should be corrected as Ashok Kumar in my certificate.

AMAN VERMA
s/o Sh. Ashok Kumar,
r/o B-43, Sector-2, New Shimla,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Bheem Singh s/o Sh. Bhinder Singh, r/o Village Aar, P.O. Bijmal, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) declare that the name of my son is wrongly entered as Nikhal in Aadhar Card. His correct name is Nikhil as per panchayat record. Kindly correct it in Aadhar Card as Nikhil.

BHEEM SINGH
s/o Sh. Bhinder Singh,
r/o Village Aar, P.O. Bijmal,
Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Madan s/o Sh. Sant Ram, r/o Village Bagi, P.O. Devgarh, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.)-171202 declare that Manvai (Old Name) is my minor daughter that I have changed the name of my daughter from Manvai (Old Name) to Manvi (New name). All concerned please note.

MADAN
s/o Sh. Sant Ram,
r/o Village Bagi, P.O. Devgarh,
Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Saroop Chand aged 46 years s/o Late Sh. Jeet Ram, r/o Village & P.O. Poabo, Tehsil & District Shimla (H.P.) do hereby declare that my correct name is Saroop Chand but in Aadhar Card my name has been wrongly entered as Swaroop Chand. The same should be corrected in all the documents. All concerned please note.

SAROOP CHAND
s/o Late Sh. Jeet Ram,
r/o Village & P.O. Poabo,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ashwini Sharma (New Name) s/o Late Sh. Hem Ram Sharma aged about 56 years, r/o Village Charau, P.O. Anandpur, Tehsil & District Shimla (H.P.), Pin-171219 declare that I have changed my name from Ashwani Kumar (Previous Name) to Ashwini Sharma (New Name). All concerned please may note.

ASHWINI SHARMA
s/o Late Sh. Hem Ram Sharma
r/o Village Charau, P.O. Anandpur,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sheela Saru Magar (New name) w/o Sh. Ajay Saru Magar, Tharola (83), Shimla (H.P.)-171202 declare that I have changed my name from Sheela (Old Name) to Sheela Saru Magar (New name). All concerned please may note.

SHEELA SARU MAGAR
w/o Sh. Ajay Saru Magar,
Tharola (83), Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pratibha Khadka (New name) d/o Giann Bhadur c/o Sh. Jag Mohan Chauhan, Village Chhol, Kotkhai, Shimla (H.P.)-171202 declare that I have changed my name from Pratibha (Old Name) to Pratibha Khadka (New name). All concerned please may note.

PRATIBHA KHADKA
d/o Giann Bhadur,
c/o Sh. Jag Mohan Chauhan,
Village Chhol, Kotkhai, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Hem Raj s/o Sh. Layak Ram, Village Bhalara, P.O. Kui, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Munmun is wrongly mentioned as Smayara Chauhan in her Aadhar Card. Therefore it should be changed to Munmun in her Aadhar Card.

HEM RAJ
s/o Sh. Layak Ram,
Village Bhalara, P.O. Kui,
Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Prakash Khadka (New name) s/o Sh. Gian Bahadur, c/o Jag Mohan Chauhan, Village Chhol, Kotkhai, P.O. Kotkhai, District Shimla (H.P.)-171202 declare that I have changed my name from Prakash (Old Name) to Prakash Khadka (New name). All concerned please may note.

PRAKASH KHADKA
s/o Sh. Gian Bahadur,
c/o Jag Mohan Chauhan, Village Chhol,
Kotkhai, P.O. Kotkhai, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Asmita Saru Magar (New name) w/o Sh. Ashok Saru Magar, Tharola (83), Shimla (H.P.)-171202 declare that I have changed my name from Asmita (Old Name) to Asmita Saru Magar (New name). All concerned please may note.

ASMITA SARU MAGAR
w/o Sh. Ashok Saru Magar,
Tharola (83), Shimla, Himachal Pradesh.

CHANGE OF NAME

I, Tara Devi w/o Sh. Surinder Singh, r/o Village Galot, P.O. Panesh, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Tara Devi to Saroj Verma. All concerned please may note.

TARA DEVI
w/o Sh. Surinder Singh,
r/o Village Galot, P.O. Panesh,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Narbada Devi aged 76 years w/o Sh. Gian Chand, r/o Village Bhiot, P.O. Chobin, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.)-176128 declare that my name has been wrongly recorded in the Aadhar Card No. 7957 6610 1919 as Narmda Devi in place of Narbada Devi, whereas my correct name is Narbada Devi. All concerned please may note.

NARBADA DEVI
w/o Sh. Gian Chand,
r/o Village Bhiot, P.O. Chobin,
Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sonu s/o Sh. Prem Singh, r/o Village Riwari Majithi, P.O. Daro-Devria, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) have changed my name from Sonu to Sonia Ram.

SONU
s/o Sh. Prem Singh,
r/o Village Riwari Majithi,
P.O. Daro-Devria, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shelnder Singh s/o Sh. Ranjeet, r/o Village Chaklu, P.O. Kunihar, Tehisil Arki, District Solan (H.P.) have changed my name from Shelnder Singh to Shalender Singh.

SHELNDER SINGH
s/o Sh. Ranjeet,
r/o Village Chaklu, P.O. Kunihar,
Tehisil Arki, District Solan (H.P.).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 जून, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–12 / 2025–लेज.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को दिनांक 25–06–2025 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2025 के अध्यादेश संख्यांक 2 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

2025 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **अध्यादेश**।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. **धारा 12 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 12 के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यदि कुलपति का पद त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा या तो तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव या किसी राज्य विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्य को कुलपति के रूप में नियुक्त कर सकेगी जो इस धारा के उपबन्धों के अनुसार नियमित कुलपति की नियुक्ति किए जाने तक कुलपति के कर्त्तव्यों का अस्थायी रूप से निर्वहन करेगा।''

(शिव प्रताप शुक्ल)
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

———————

(शरद कुमार लगवाल)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीखः 25 जून, 2025

—————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 2 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015).

WHEREAS, the Himachal Pradesh Legislative Assembly is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:

1. Short title and commencement.—(1) This ordinance may be called the Himachal Pradesh Technical University (Amendment) Ordinance, 2025.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 12.—In the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, in section 12, for the proviso, the following shall be substituted namely:—

"Provided that in case the post of Vice-Chancellor falls vacant on account of resignation or otherwise, the State Government may, by order, appoint either the Administrative Secretary of the Technical Education Department or a senior faculty member of any State University as Vice-Chancellor who shall discharge the duties of the Vice-Chancellor temporarily till a regular Vice-Chancellor is appointed as per the provisions of this section."

(SHIV PRATAP SHUKLA),
Governor, Himachal Pradesh.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Pr. Secretary (Law)

SHIMLA :

The 25th June, 2025

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।